फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
मंगीलाल पुत्र मगाराम जाति मीणा निवासी कोठार तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/505

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की शामिल में जारी हुये
12/12/24	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कोठार स्थित भूमि खसरा नंबर 314 रकबा 1.58 हैक्टर कुल लगान 7.90 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, कोठार एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.))

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
नांगीलाल पुत्र मगाराम जाति मीणा निवासी कोठार तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व __________ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कोठार स्थित भूमि खसरा नंबर 314 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 7.90 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जनाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, कोठार एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-12-24 को जारी की गई।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपि)

दनिांक : 12/12/2024 03:34:04 PM

जलिा :पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र :नाना

पटवारी हल्का :कोठार | ग्राम : कोठार

खसरा सख्या :314 क्षेत्रफल : 1.5800 Hectare खाता सख्या : 32पुराना खाता सख्या :32

भूमि किस्मि[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [1.5800, 7.90]

1.) मांगीलाल पुत्र मगाराम हस्सिा- 67/158 जाति- मेणा सा. देह खातेदार

2.) लक्ष्मणराम पुत्र मगाराम हस्सिा- 67/158 जाति- मेणा सा. देह खातेदार

3.) वागा राम पुत्र भगा राम मीणा हस्सिा- 12/79 जाति- मीणा मकान संख्या- NA, कॉलोनी- रघुनाथ पुरा मोरी बेडा स्टेशन , क्षेत्र/स्थान- रघुनाथ पूरा मोरी बेडा स्टेशन , शहर- रघुनाथ पूरा मोरी बेड, पनि कोड- 306126, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल - कोठार / दूदनी तहसील - बाली, जिला - पाली (राज.)

सक्षम अधकिारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नही किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापति प्रतलिपि हेतु सम्बंधति जलिा/तहसील कार्यालय मे संपर्क करे। ULPIN No :

पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल - कोठार / दूदनी तहसील - बाली, जिला - पाली (राज.)

तहसीलदार (भू.अ.) बाली